

राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिंह तोमर आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 13/019

आर सी एम सए नं0 2019/00073

तारीख रजू 19.02.2019

सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

:—प्रार्थी

बनाम

- 1 भवंरलाल पुत्र रामेश्वर प्रसाद
- 2 मूलचंद पुत्र रामेश्वर प्रसाद
- 3 कैलाशचंद पुत्र रामेश्वर प्रसाद
- 4 ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर प्रसाद
- 5 भंवरवाई पुत्री रामेश्वर प्रसाद
- 6 विमलावाई पुत्री रामेश्वर प्रसाद
- 7 शंकुन्तला पुत्री रामेश्वर प्रसाद

समस्त जातियान ब्राहामण निवासीयान खोहरा
तहसील टोडाभीम जिला करौली

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:— 1 श्री राधेश्याम शर्मा वकील अप्रार्थी

2 पैरोकार सरकार तहसीलदार

निर्णय

दिनांक:— 28.02.2020

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नम्बर 120 रकवा 0.09 है0 ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 598 रकवा 7 विस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन नाला के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2008 से 19 के खाता संख्या 1 मे यह भूमि नियमन होकर मांगीलाल पुत्र रामदेव ब्राहामण निवासी खोहरा के खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 598 का नवीन खसरा नम्बर 120 रकवा 0.09 है0 बनाकर हाल जमाबंदी मे अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नही होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तरकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8.1947 मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 120 रकवा 0.09 है0 वाके ग्राम खोहरा को वापिस राजकीय भूमि गैरमुमकिन नाला को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिये प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी,मिसल जमाबंदी सम्बत 2008 से 19 मिलान क्षेत्रफल ,हाल जमाबंदी संम्बत 2072 से 2075 तक खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश की है।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसमे अप्रार्थी जरिये वकालान्तन उपस्थित आया और जवाव पेशकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में दर्ज पैरा को अस्वीकार करते हुये निवेदन किया है कि यह भूमि अप्रार्थीयान के बाबा मांगीलाल को नियमानुसार आबंटन हुई थी तभी से भूमि पर काबिज है। इस आराजी पर अब्दुल रहमान बनाम सरकार का प्रावधान लागू नही होता है। अंत में रेफरेंस खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

उभयपक्षकार अभिभाषकगणो की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ के अनुसार सही पेश किया गया है जिसकी ताहीद में साविक व हाल रिकॉर्ड सामिल पत्रावली है जिसमे भूमि गैर मु. नाला थी जिसे नियमन/आवंटन गलत तरीके से किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने अपने बहस कथन मे कहा गया कि अप्रार्थी को अपने पूर्वजो से भूमि प्राप्त हुई है मौके पर कोई नाला नही है। भूमि समतल है बिना जाँच के ही यह रेफरेन्स पेश किया गया है। और इस आराजी पर अब्दुल रहमान बनाम सरकार डी0बी0 सिविल रिट लागू नही होती है।

हमने वकील अप्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बंत 2008 से 2019 के खाता संख्या 1 मे आराजी खसरा नं. 598 रकवा 1 बीघा 7 बिस्वा किस्म से गै0 मु0 नाला के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है जो बाद में अप्रार्थीयान के पूर्वज मांगीलाल को भूमि आवंटन/ नियमन से खातेदारी में मांगीलाल पुत्र रामदेव के नाम दर्ज होकर खातेदारी मे दर्ज हो गई है अब वर्तमान में अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। भूमि जमाबंदी में जिम्मन नं. 1 में जल मग्न होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय मे उल्लेख किया हैं कि **All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammended accordingly.** माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका मे पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 120 रकवा 0.09 है0 ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली की भूमि को बापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2008 से 2019 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन नाला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

